राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : सीबी / एमएस / एफ–2204 / 2018 / दिनांक :–

–:: आदेश ::–

श्री महेन्द्र सिंह चाहर, नेत्र सहायक, बी.डी.के. अस्पताल, जिला झूंझुनू को परिवादी श्री जयप्रकाश से दिनांक 23.05.2018 को 5,000/– रूपये (4000 व 1000 रू.) रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झूंझुनू द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार करने एवं थाना ए.सी.बी, झूंझुनू में दर्ज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 धारा 7, 13(1) (डी) 13(2) पी.सी.एक्ट के तहत् मुकदमा संख्या–146 / 2018 दिनांक 24.05.2018 दर्ज होने के कारण इन्हें राज्यसेवा से निलम्बित किया जाना आवश्यक है।

अतः राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम–13(II) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री महेन्द्र सिंह चाहर, नेत्र सहायक को उनकी गिरफ्तारी दिनांक 23.05.2018 से राज्यसेवा से निलम्बित किया जाता है।

निलम्बनकाल में इनका मुख्यालय, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–जयपुर कार्यालय में रहेगा तथा इन्हें निलम्बनकाल में वेतन का 50 प्रतिशत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज. जयपुर।

क्रमांक : सीबी / एमएस / एफ–2204 / 2018 / 929 दिनांक :– 29/5/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि निलम्बित कार्मिक द्वारा मुख्यालय पर उपस्थिति प्रस्तुत करने की तिथि से अवगत करावे एवं यह सुनिश्चित करले कि वे आपकी पूर्वानुमति के मुख्यालय नहीं छोडे तथा नियमित रूप से उपस्थिति अंकित करें।
2. पुलिस अधीक्षक–प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक भ्र.नि.ब्यू. / अशा / 3 / 2018 / 1048–50 दिनांक 24.05.2018 के क्रम में।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बी.डी.के. अस्पताल, झूंझुनू को प्रेषित कर लेख है कि निलम्बित कार्मिक को निलम्बन पर मुख्यालय पर उपस्थिति देने हेतु तत्काल कार्यमुक्त कर सूचित करे।
4. प्रशासनिक अधिकारी, अराजपत्रित / डी.पी.सी. अनुभाग, मुख्यालय।
5. श्री महेन्द्र सिंह चाहर, नेत्र सहायक (निलम्बित) द्वारा क्रम संख्या–03 के।
6. प्रभारी, सर्वर रूम, निदेशालय, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
7. आदेश / रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज. जयपुर।

D:\CB\2017\C.B\M.S.doc\Order Suspend.doc